न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–262 / 2007 निर्णय दिनांक :–16.03.2021

उनवानी दावा :–

1. रामदेव पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली
2. रामकिशन पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली
3. बाबूलाल पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार जी देवली
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान
4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान
5. कनिष्ठ अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

श्री राधेगोपाल शर्मा
प्रतिवादी संख्या 3 ता 5
पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता हरनाथ की खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 901 मिन रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 902 मिन रकबा 3 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम मालेडा तहसील देवली में स्थित है। जिसके सेटलमेन्ट के दौरान हाल खसरा नम्बर 609 व 706 बना दिये गए है। वादीगण के पिता हरनाथ का देहान्त हो गया है और वादीगण के अलावा मृतक हरनाथ के अन्य कोई जाईज कायम विवादित जमीन के अलावा अन्य जमीन वादीगण के पास नही है। इस कारण उक्त जमीन के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। हाल ही मे देवली तहसील मे काफी अनियमितताऐ की गई है तथा खाते की जमीनो को सिवायचक व सिवायचक जमीन को खातेदारी मे अकितं कर दिया गया है तथा नक्शा ट्रेस मे भी

गलत रूप से तरमीम कर दी गई है ऐसी ही गलती वादीगण के साथ भी की गई है वादीगण के पिता हरनाथ की खातेदारी के खेत 901 व 902 रकबा 6 बीघा मे से वादी के पिता हरनाथ के नाम हाल नम्बर 609 रकबा 1.13 है0 जमीन ही खातेदारी मे अकिंत की गई है तथा 0.37 है0 जमीन को गलत रूप से शीट मे तरमीम करते हुऐ सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्लू ही– के नाम लगा दी गई है जब कि उक्त जमीन को वादीगण के पिता और अब वादीगण की खातेदारी मे लगाया जाना आवश्यक है। सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट कर्मचारियो व अधिकारियो को साबिक रिकॉर्ड के अनुसार ही हाल खसरा नम्बर बनाते हुऐ नये रिकॉर्ड मे पुरानी एन्ट्री को ही रिपीट करना था लेकिन उन्होने वादीगण की खातेदारी की जमीन मे से 0.37 है0 जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अकिंत कर दी है जब कि सेटलमेन्ट मे उक्त जमीन को वादीगण की खातेदारी मे अकिंत किया जाना चाहिए था इसी प्रकार साबिक नक्शा ट्रेस के हिसाब से हाल नक्शा ट्रेस मे भी गलत रूप से तरमीम कर दी गई है। जिसको भी दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण वादीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। ग्राम मालेडा तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर साबिक शीट के मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस मे भी तरमीम की जावे। राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। उक्त वाद में राज्य सरकार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को पक्षकारा बनाया गया है तहत कानून धारा 80 सीपीसी के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त वाद बिना धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र धारा 80 सीपीसी मय शपथ पत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा आज से 7 दिन पूर्व उस समय सम्पन्न हुआ जब वादीगण को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बताया कि यह जमीन तो हमारी है हम तुम्हे उक्त जमीन से बेदखल कर देंगे। जो निरन्तर रूप से जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री राधेगोपाल जी ने जवाब दावा पेश किया जिसके अनुसार वाद पत्र चरण नं. 1 मे आराजी खसरा नं. 901,902 हाल खसरा नं. 609 व 706 होना स्वीकार है शेष गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 2 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। वादीगण हरनाथ के वारिसान नही है। गलत वाद पेश किया है। वाद पत्र का चरण नं. 3 जिस तरह से वर्णित है गलत है, अस्वीकार है। खसरा नं. 706 रकबा 0.37

है0 जमीन प्रतिवादी सं. 4 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से खातेदारी मे है इससे वादीगण का कोई लेना देना नही है एवं खसरा नं. 706 रकबा 0.37 है0 पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का कब्जा है। ख.नं. 706 मे वर्तमान मे सड़क का निर्माण हो रहा है। वाद खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 4 मे सेटलमेंट के दोरान खसरा नं. 706 रकबा 0.37 है0 जमीन सार्वजजिक निर्माण विभाग के नाम खातेदारी मे पूर्व से ही थी और अब भी वर्तमान मे सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी मे है इसलिए रिकार्ड दुरूस्ती का कोई सवाल ही पेदा नही होता है। वाद पत्र का चरण नं.5 गलत है, अस्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 6 मे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादीगण द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया है इसलिये वाद खारिज योग्य है। वाद पत्र का चरण नं. 7 व 8 कानूनी है। वाद पत्र का चरण नं. 9 कानूनी है। न्यायालय को वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। वाद पत्र का चरण नं. 10 मे वादीगण द्वारा चाही गयी अधियाचना गलत है, अस्वीकार है। वादीगण खसरा नं. 706 मे से 0.37 है0 के खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाब निम्न प्रकार है। पेरा नं. 1 मुताबिक रेकार्ड के स्वीकार है। पेरा नं. 2 मुताबिक स्वयं सिद्व करे। पेरा नं. 3 सार्वजनिक निर्माण विभाग से है। पेरा नं. 4 वादी स्वयं सिद्व करे । पेरा नं. 5 वादी स्वयं सिद्व करे । राज्य सरकार के विरूद्व वाद प्रस्तुत करने पर 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। पेरा नं. 7 वादी स्वयं सिद्व करे । पेरा नं. 9,10 माननीय न्यायालय से सम्बधित है। उक्त भूमि वादीगण के पिता के पुश्तेनी खातेदारी की नही होकर गैर खातेदारी की भूमि थी। जिस पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे काश्त के मुताबिक हाल ख. न. 609 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मालेड़ा की खातेदारी दी है। वादीगण ने हाल ख.न. 706 मे कमी रकबा 0.37 है0 की मांग की है जो सड़क सीमा मे है, तथा आर.टी एक्ट 1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि होने से खातेदारी देय नही है। वादीगण का वाद पत्र निरस्त योग्य है।

प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर सुनवाई जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी रामदेव पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तहसील देवली, पी.डब्ल्यू–2 महावीर पुत्र बालूराम

जाति प्रजापत आयु 48 निवासी ग्राम मालेड़ा तहसील देवली पी. डब्ल्यू–3 रामकिशन पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तहसील देवली के पेश किये।

वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2060–63 प्रदर्श–2 पुरानी नक्शा शीट प्रदर्श–3 नयी नक्शा शीट प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–5 भू–प्रबन्ध का खसरा पत्र पेश किये।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पी. डब्ल्यू–1 व पी. डब्ल्यू–2 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 अनिल कुमार वर्मा सहायक अभियन्ता सार्व. निर्माण विभाग देवली का पेश किया।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य डी. डब्ल्यू–1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।

प्रतिवादीगण द्वारा कोई और साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 901 मिन रकबा 3 बीघा व ख. नं. 902 मिन रकबा 3 बीघा कुल रकबा 6 वाके ग्राम मालेड़ा में स्थित था। सेटलमेंन्ट के दौरान उक्त साबिक ख. नं. के हाल ख. नं. 609 रकबा 1.13 है0वादीगण के नाम कर दी गई व ख. नं. 706 रकबा 0.37 है0 की गलत तरमीम कर पी. डब्ल्यू. डी के नाम कर दी गई, जिसको दुरूस्त करने के लिए यह वाद पेश किया है। सेटलमेंन्ट को बिना किसी सक्षम आदेश के ऐसा करने का अधिकार नहीं था। सेटलमेंन्ट को पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार ही खातेदारी देनी थी, पूर्व प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नहीं था । वादीगण का पिता हरनाथ एक अनपढ व सीधा साधा व्यक्ति था, जिसको कानून की कोई जानकारी नहीं थी। अतः वादीगण का वाद डिक्री कर 0.37 है0 की खातेदारी वादीगण को दी जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नम्बर 706 रकबा 0.37 है0 पर पी. डब्ल्यू. डी का की खातेदारी सेटलमेन्ट से पूर्व से ही है और वर्तमान में भी पी. डब्ल्यू. डी की खातेदारी भूमि है और वर्तमान में इस भूमि पर सड़क का निर्माण हो रखा है। जब जमीन शुरू से ही पी.डब्ल्यू. डी के नाम रही है तो दुरूस्ती का

सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आये वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 में से 0.37 है0 ग्राम मालेड़ा तह0 देवली की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने और साबिक सीट के अनुसार हाल सीट में तरमीम करवाने के हकदार है?** –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श–5 खसरा पत्रक भू–प्रबन्ध विभाग सम्वत 2039 खसरा पत्रक पेश किया जिसके ख. नं. 901 मिन रकबा 3 बीघा व ख. नं. 902 मिन रकबा 3 बीघा हरनाथ पुत्र रोडू रेगर सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल से ख. नं. 901 मिन रकबा 3 बीघा व ख. नं. 902 रकबा 3 बीघा के हाल नं. 609 रकबा 1.13 है0 बने है, जो वर्तमान में वादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 901 मिन 903 मिन व 921 मिन से ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 बने है जो प्रदर्श–1 से सार्वजनिक विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है और वर्तमान में गै. मु सड़क के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण को रिकॉर्ड से यह साबित करना था कि ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 भूमि में किस प्रकार से 0.37 है0 भूमि वादीगण की भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2035–38 में साबिक ख. नं. ख. नं. 901 मिन 903 मिन व 921 राजकीय भूमि का खाता बंजड़ के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहा है, जिनसे ही हाल ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 बना है जो सार्वजनिक विभाग के नाम है और वर्तमान में गै. मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण ने दस्तावेज से यह भी साबित नहीं किया है कि वे हरनाथ के ही वारिसान है। अतः दस्तावेजो से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

2. **आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार प्रस्तुत जवाब दावा वर्णित उठाई गई आपतियां न्यायोचित है?** –पेरोकार सरकार–

उक्त भूमि वादीगण के पिता के पुश्तेनी खातेदारी की नही होकर गैर खातेदारी की भूमि थी। जिस पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कब्जे काश्त के मुताबिक हाल ख. न. 609 रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मालेड़ा की खातेदारी दी है। वादीगण ने अपनी भूमि का रकबा बराबर करने के लिए हाल ख. न. 706 मे कमी रकबा 0. 37 है0 में बताते हुए योग किया है जो सड़क सीमा मे है जिसको आर.टी एक्ट

1955 की धारा 16 मे वर्णित भूमि होने से खातेदारी देय नही है जो राजस्व नियमानुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार साबित है। अतः तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार व दस्तावेजो अनुसार इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण सेख्या 1 व 2 के पक्ष में किया जाता है।

3. **आया प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रस्तुत जवाब दावा न्यायोचित है और वाद वादीपक्ष न्यायोचित नहीं है? –प्रतिवादी संख्या 3 ता 5–**

तनकी नं. 3 ता 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 पर था जिसके लिए प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2035–38 में साबिक ख. नं. 901 मिन 903 मिन व 921 राजकीय भूमि का खाता बंजड़ के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहा है, जिनसे ही हाल ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 बना है जो सार्वजनिक विभाग के नाम है और वर्तमान में गै. मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त से स्पष्ट है कि साबिक ख. नं. 901 मिन 903 मिन व 921 राजकीय भूमि सेटलमेंन्ट से पूर्व राजकीय भूमि थी जिसको वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम कर दिया गया । उक्त साबिक खसरा नम्बर से हाल ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 बना है जो सार्वजनिक विभाग के नाम है और वर्तमान में गै. मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। इस तनकी को प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने बखूबी साबित किया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पक्ष में किया जाता है।

अतः तनकीवार विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। अतः राजस्व साबिक रिकॉर्ड, मिलान क्षैत्रफल से साबिक ख. नं. व हाल ख. नं के मिलान नहीं होने के कारण व वर्तमान में ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (vi) में वर्णित होने व वादीगण द्वारा स्वयं को हरनाथ के वारिस साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

इज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.....

उनवानी दावा :–

1. रामदेव पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली
2. रामकिशन पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली
3. बाबूलाल पुत्र हरनाथ जाति रेगर निवासी मालेड़ा तह0 देवली

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
2. तहसीलदार जी देवली
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान
4. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान
5. कनिष्ट अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग {पी.डब्ल्यू.डी} टोंक राजस्थान

– प्रतिवादीगण –

दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 262 सन् 2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री राधेगोपाल शर्मा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व पेरोकार सरकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 देवली मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

राजस्व साबिक रिकॉर्ड, मिलान क्षैत्रफल से साबिक ख. नं. व हाल ख. नं के मिलान नहीं होने के कारण व वर्तमान में ख. नं. 706 रकबा 3.98 है0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित होने व वादीगण द्वारा स्वयं को हरनाथ के वारिस साबित नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 03 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....

ओहदा ..... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए